न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 22/09

1. गेन्दिया पुत्र श्री रामा बैरवा ।
2. रामनारायण पुत्र गेन्दिया बैरवा निवासी खेडी तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्योजी पुत्र श्री रामनारायण जाति बैरवा ।
   2/2. गुलाब पत्नी श्री रामनारायण जाति बैरवा ।
   2/3. सोभागमल, हुनमान, बद्रीलाल, कोमलचन्द, कमलेश, गुलाबबाई, सम्पत बाई, सजला, मंझला, किसकन्धा पिसरान रामनारायण जाति बैरवा निवासी खेडी तहसील नैनवा कायममुकाम मृतक रामनारायण पुत्र श्री गेन्दिया जाति बेरवा निवासी खेडी तहसील नैनवा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
2. छीतर आत्मज भूरा जाति माली निवासी खेडी तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. जमना बेवा छीतर जाति माली निवासी ग्राम लाम्बा बरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
   2/2. मोहन आत्मज स्व0 छीतर जाति माली निवासी लाम्बा बरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रामकुंवार आत्मज बख्तावरा जाति खाती निवासी ग्राम नाहरी ।
4. रामनिवास आत्मज बख्तावरा खाती निवासी ग्राम नाहरी तहसील नैनवा ।
5. किशना आत्मज कालू जाति बैरवा निवीस जगदीशपुरा ।
6. हरपाल आत्मज चन्दा जाति बैरवा निवासी जगदीशपुरा ।
7. प्रहलाद आत्मज चन्दा जाति बैरवा निवासी जगरदीशपुरा समस्त निवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 26.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2009 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 तहसीलदार नैनवा ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आंतरदा में आराजी खसरा नम्बर 638 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा, चाह संख्या 1639 रकबा 08 बिस्वा स्थित है । उक्त भूमि गेन्दया आत्मज श्रीराम चमार निवासी खेडी के खात में दर्ज है । ग्राम जगदीशपुरा तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 77 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त भूमि किशना आत्मज कालू, हरपाल, प्रहलाद आत्मज चन्दा बैरवा के खाते में दर्ज है । गेन्दया ने अपनी कृषि भूमि 14 बीघा 11 बिस्वा में से 12 बीघा चाह संख्या 1639 रकबा 08 बिस्वा का बेचान छीतर आत्मज भूरा माली को कर दिया । इसी प्रकार खसरा नम्बर 77 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा में से चन्दा आत्मज धन्ना चमार ने अपना 1/2 रामकुंवार आत्मज बख्तावरा खाती निवासी नाहरी के नाम बेचान कर दिया । वादग्रस्त आराजी को बेचान करने वाली व्यक्ति अनुसूचित जाति के है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (6) एवं 43 (2) के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्तियों को बेचान करने का अधिकार नहीं है । भूमि का हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.05.2002 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, नैनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये । उक्त निर्णय के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील पेश की गई जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 30.10.2003 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करते हुए रिमाण्ड कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2003 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.2009 के वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2009 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज बेयनामा प्रदर्श– 3 से अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को बेचान करना माना गया है । प्रदर्श– 3 सेल डीड की परिभाषा में नहीं आता और गेन्दिया वल्द श्री श्रीराम जाति बैरवा द्वारा कार्यालय सब रजिस्ट्रार नैनवा में प्रस्तुत नहीं किया गया है । 06 मार्च 1974 को गेन्दिया आत्मज श्रीलाल बैरवा द्वारा सेल डीड प्रस्तुत किया गया है उसी के द्वारा प्रतिफल प्रापत करना बताया है । कल्याण आत्मज भूरा माली निवासी आंतरदा व श्री मांगीलाल आत्म्ज रामकुंवार निवासी अरनेठा ने गेन्दिया पुत्र श्रीलाल को पहचान किया है। गेन्दिया ने न तो कोई सेल डीड एक्जकूयूट किया है और न ही रजिस्ट्रेशन करवाया है । सेल डीड पंजीकृत नहीं है इस आधार पर किसी भी प्रकार का कोई सम्पत्ति हस्तान्तरण नहीं माना जा सकता । उपखण्ड अधिकारी, नैनवा को धारा 175 की कार्यवाही प्रारम्भ करने का अधिकार प्राप्त नहीं था । खसरा नम्बर 77 के खातेदार किशना, हरपाल, प्रहलाद के सेल डीड को न तो प्रस्तुत किया गया है न ही प्रदर्श करवाया गया है ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 77 की भूमि का

हस्तान्तरण सवर्ण जाति के व्यक्ति को करना मानना गलत है । इनको पक्षकार भी नहीं बनाया गया है । गेन्दिया वल्द श्रीराम बैरवा की कार्यवाही में रामकुंवार पुत्र श्री बख्तावरा खाती को गलत पक्षकार बनाया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2009 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश से अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श– 3 बयनामे को धारा 42 बी के उल्लंघन में माना है । प्रदर्श– 3 सेल डीड की परिभाषा में नहीं आता है । इसको गेन्दिया वल्द श्रीराम द्वारा कार्यालय उप पंजीयक कार्यालय में पेश नहीं किया गया है । 06 मार्च, 1974 को गेन्दिया वलद श्रीलाल के द्वारा सेल डीड पेश की गई थी । गेन्दिया वल्द श्रीराम ने कोई सेल डीड पेश नहीं की थी । गवाह के द्वारा भी इस सेल डीड को अटेस्ट नहीं किया गया है । इस कारण यह सेल डीड, सेल डीड की परिभाषा में नहीं आता है । कानूनन अपंजीकृत सेल डीड से किसी भी प्रकार का कोई सम्पत्ति अन्तरण नहीं होता है । धारा 175 की कार्यवाही पेश करते समय प्रदर्श– 3 की प्रति पेश नहीं की गई है । मात्र जमाबन्दी संवत् 2028 से 2047 पेश की है इसके आधार पर धारा 175 की कार्यवाही नहीं की जा सकती । उपखण्ड अधिकारी के आदेश को दिनांक 17.06. 1995 से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने निरस्त किया । धारा 42 बी का उल्लंघन नहीं हुआ है और खसरा नम्बर 77 की सेल डीड को पेश नहीं किया गया है । दोनों कार्यवाहियों को गलत जोडा गया है, अलग–अलग दर्ज होनी चाहिए थी । तनकीयात कायम नहीं की गई हैं जबकि जवाब आने के बाद धारा 175 की कार्यवाही में दावे के रूप में निस्तारण करते हुए तनकी कायम किया जाना अनिवार्य होता है । तहसीलदार के बयान दर्ज नहीं करवाए गये हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निर्णय दिनांक 31.03.2009 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 280 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त बेचान धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन में हुआ है । वादग्रस्त आराजी पर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है जो विधि सम्मत रूप से की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2009 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2057 संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या 09 की कूल किता 07 की रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा

भूमि गेन्दिया पुत्र सरया जाति चमार के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2047 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 77 की रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा भूमि चन्द्रा वल्द धन्ना कौन चमार के खाते में दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 12.07.1984 की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी के आदेश से वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है और उसमें यह अंकित किया गया है कि रामनारायण के पिता गेन्दिया ने खसरा नम्बर 638 की 08 बिस्वा आराजी खसरा नम्बर 639 की 12 बीघा आराजी का विक्रय किया है । पत्रावली पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 29.05.1985 संलग्न है जिसके अनुसार प्रकरण रिमाण्ड किया गया है । पत्रावली पर रामनारायण का जवाब प्रार्थना पत्र संलग्न है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि हाल खसरा नम्बर 1453 की 23 बीघा 15 बिस्वा और खसरा नम्बर 1452 की 08 बिस्वा के गेन्दिया वल्द श्रीराम खातेदार थे दिनांक 09.07.1976 को माधो व तनसा पिसारान नन्दा रेगर ने धोखे से एक लिखावट लिखवाकर पूर्व की 18 बीघा आराजी पर कब्जा कर लिया । मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रदर्श– पी–1 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 639 रकबा 08 बीघा के हाल खसरा नम्बर 1452 बने हैं और साबिक खसरा नम्बर 638 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1453 बने हैं और नकल जमाबन्दी प्रदर्श– पी–2 के अनुसार गेन्दिया पुत्र श्रीया के खाते में खसरा नम्बर 142 और 143 की आराजी दर्ज है । पत्रावली पर विक्रय पत्र की प्रति भी संलग्न है । यह गेन्दिया वल्द श्रीराम के द्वारा निष्पादित किया गया है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 638 और 639 में 12 बीघा आराजी का छीतर जाति माली को विक्रय किया जाना अंकित किया गया है । यह विक्रय पत्र प्रदर्श– पी–3 के रूप में संलग्न है और यह उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 25.03.1974 को पंजीबद्ध करवाया गया है ।

10. पत्रावली पर बयान नाथूलाल, ओमप्रकाश, रामनारायण के वारिसान के संलग्न किये गये हैं ।

11. एक जवाब छीतर, तुलसा का भी पेश किया गया है जिसमें 1976 में आराजी को क्रय करना बताया गया है और अपने पक्ष के समर्थन में एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की गई है । यह विक्रय पत्र फोटो प्रति के रूप में पेश किया गया है और गेन्दिया पुत्र रामनारायण के द्वारा निष्पादित किया जाना अंकित है इसमें खसरा नम्बर *अंकित नहीं है और आंतरदा के माल की* आराजी का बेचान किये जाने का लिखा हुआ है । इस दस्तावेज को पढने से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह दस्तावेज पंजीकृत है अथवा नहीं परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दस्तावेज सन् 1976 का है इसमें खसरा नम्बर भी अंकित नहीं है और इससे पूर्व का विक्रय पत्र पत्रावली में प्रदर्श– पी–3 के रूप में संलग्न है वह पंजीकृत है और यह विक्रय पत्र धारा 42 बी के उल्लंघन में निष्पादित किया गया है । यह विक्रय पत्र गेन्दिया पुत्र श्रीराम के द्वारा निष्पादित किया गया है और उसी आराजी के लिए निष्पादित किया गया है जो उनके खाते में दर्ज थी क्योंकि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 638 का हाल खसरा नम्बर 1453 और खसरा नम्बर 639 का हाल खसरा नम्बर 1452 बना है और प्रदर्श– 2 के अनुसार ये गेन्दिया के खाते में दर्ज है ।

12. हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि यह विक्रय पत्र खातेदार गेन्दिया के द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है क्योंकि उनके पिता का नाम श्रीलाल अंकित है यदि विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि गेन्दिया वल्द श्रीराम के खाते की

आराजी अन्य किसी व्यक्ति ने विक्रय कर दी है तो उन्हें फौजदारी की कार्यवाही करना चाहिए अथवा विक्रय पत्र को निरस्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए । पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी मुताबक विक्रय पत्र प्रदर्श– 3 धारा 42 बी के उल्लंघन में अन्तरित की गई है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने चन्द्रा आत्मज धन्ना चमार के द्वारा विक्रय की गई आराजी के बाबत् आपत्ति की है कि उससे सम्बन्धित पंजीबद्ध विक्रय पत्र पेश नहीं किया है परन्तु इस बाबत् आपत्ति पेश करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अपील गेन्दिया के वारिसान के द्वारा पेश की गई है इसलिए गेन्दिया के द्वारा विक्रय की गई आराजी के लिए बाबत् ही आपत्ति कर सकते हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है, जबकि जवाब पेश किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दावे एवं जवाबदावे के समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया है और आरआरटी 2014 पेज 509 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब विवाद के मुख्य बिन्दुओं का विवेचन किया गया हो तो तनकीवार निर्णय पारित नहीं किये जाने पर भी उसे विधि सम्मत निर्णय माना जा सकता है ।

13. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2009 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 26.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा